IAHRW International Journal of Social Sciences Review

Volume 6 Issue 10 December, 2018

Contents

A prevalence study of common psychiatric disorders in rural population of Chhattisgarh 1891-1895
Lokesh Kumar Ranjan, Pramod R. Gupta, Jay Kumar Ranjan, and Prasanna Tendolkar

Flow and psychological well-being of musicians and dancers 1896-1899
Shruti P. Soudi and Shanmukh V Kamble

Coping strategies in normal adult male and normal female siblings having intellectually disabled brother/sister 1900-1902
Pooja Malviya

A correlational study between organizational justice and performance of nurses 1903-1905
Poonam and Shalini Singh

Voting behavior of different socio-economic groups: A case study in Tehatta of Nadia district, West Bengal 1906-1913
Firoj Biswas, Nasim Ahamed Mondal, and Nizamuddin Khan

Depression among women working on government job, private job and housewives 1914-1916
Mehfooz Ahmad and Mustafa N. Kirmani

Indian studies on occupational aspiration: A systemic review 1917-1920
Singdha Panday and Vaishali Shukla

Socio-economic background of juveniles with special reference to Dharwad district 1921-1925
Rangappa N. M. and G. S. Venumadhava

Does emotional intelligence of adolescents have an effect on their locus of control and adjustment pattern? An exploration 1926-1929
Rebeka Debbarma and Anjana Bhattacharjee

A study of loneliness and mental health among old age people in Haridwar 1930-1933
Udai Prakash Verma and Arun Kumar

Character strengths and well-being of adolescents: A comparative analysis 1934-1938
Shailja Sharma

Does the quality of marriage depend on the ability to manage conflict? A comprehensive study on males 1939-1945
Rituparna Basak and Sanchita Pakrashi

A study on economical conditions of convicted inmates of central prison Dharwad, Karnataka 1946-1949
Ravikanth B. Lamani and G. S. Venumadhava

Development of adjustment questionnaire 1950-1955
Sweta and Jai Prakash

Understanding disability in India: Retrospect and prospect 1956-1960
Sangita Kumari

A systematic review of HIV/ AIDS related stigma among children and youth living with HIV 1961-1967
Varsha Singha and Swaran Lata

Principal
Dayanand College
HISAR

Annexure - C-II

Contents

Emotional intelligence and mental health among university students *G. Bhadramani, Jithin Joy, and Venkatachalam Jonnadula*	2067-2069
The importance of effective communication in terminal diagnosis and breaking bad news: Focus on meaning, purpose, and strategies *Sisodia Devendra Singh and Vaiphei Suantak Demkhosei*	2070-2074
A comparative analysis of mental well-being in relation to employment and marital status among females in Haryana region *Bindu Kumari and Jyoti*	2075-2077
Accomplishing food security: Major constraints and policy framework *Jyoti Gogia, Nandini Sharma, and Neha Sikarwar*	2078-2085
Participation of youth in social media: A study with reference to gender sensitization *Nity and Gaurav Singh*	2086-2091
Cognitive ageing: A review *Shafiq Yusufkhan Pathan and Hina Hafiz Khan*	2092-2094
भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव का मुकद्दमा' जोगिन्द्र सिंह	2095-2098
प्रजामंडल आंदोलनः रियासतों के विरूद्वजन आंदोलन बीरबल	2099-2101

C-II

Principal
Dayanand College
HISAR

Annexure - C - II

IAHRW International Journal of Social Sciences
Review, 2018, 6(10), 2095-2098

© 2018 Indian Association of Health, Research and Welfare
ISSN-2347-3797
UGC Journal No 41948 and NAAS Rating 2.72

भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव का मुकद्दमा'

जोगिन्द्र सिंह
इतिहास विभाग, दयानन्द कॉलेज, हिसार, हरियाणा

भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव का मुकद्दमा भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण केस है। जिसे लाहौर षडयंत्र केस के नाम से जाना जाता है। सामान्यत ऐतिहासिक सन्दर्भ में दो लाहौर षड़यन्त्र केस माने जाते हैं। जिनमें प्रथम केस गदर आन्दोलन से जुड़ा है तथा दूसरा केस क्रान्तिकारी आन्दोलन के दूसरे चरण से जुड़ा है। जिसके तहत शहीद भगत सिंह व उसके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। इस केस के माध्यम से अग्रेंज सरकार ने शक्ति के बल पर भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने का प्रयास किया। मुकदमें की कार्यवाही एक दिखावा थी क्योंकि सरकार सजा का निर्णय पहले ही ले चुकी थी। इससे औपनिवेशिक कार्य प्रणाली व व्यवस्था का पता चलता है। दूसरी और यह केस क्रान्तिकारी इतिहास में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रान्तिकारियों द्वारा खुलकर व्यवस्था के ढोंग को उजागर किया। मुकदमें में हर कदम पर बाधा डाली। सरकार की अमानवीय गतिविधियों को झेला तथा भूख हड़ताल इत्यादि द्वारा वैधानिक तरीकों से जेल की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। जिसमें वे आशिंक रूप से कामयाब भी रहे। अतः लाहौर षड्यन्त्र केस ने भारतीय स्वंतत्रता संग्राम की गति को नई तीव्रता प्रदान की और देश को स्वतंत्र कराने में अहम रोल अदा किया तथा भगत सिंह व उसके सहयोगी युवा पीढ़ी के आदर्श बन गए।

Keywords: षड्यन्त्र, ऐतिहासिक, आन्दोलन, औपनिवेशिक, क्रान्तिकारी

भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव का मुकद्दमा भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण केस है। जिसे लाहौर षडयंत्र केस के नाम से जाना जाता है। सामान्यत ऐतिहासिक सन्दर्भ में दो लाहौर षड़यन्त्र केस माने जाते हैं। जिनमें प्रथम केस गदर आन्दोलन से जुड़ा है तथा दूसरा केस क्रान्तिकारी आन्दोलन के दूसरे चरण से जुड़ा है। जिसके तहत शहीद भगत सिंह व उसके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। इस शोध पत्र में दूसरे लाहौर षड़यन्त्र केस को अध्ययन की विषय वस्तु बनाया गया है। यह केस भारतीय इतिहास की क्रान्तिकारी विचारधारा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने इस आन्दोलन की दिशा को बदल दिया। दूसरी ओर यह केस उस औपनिवेशिक चिन्तन व न्याय प्रणाली की स्पष्ट प्रस्तुती भी है जिसके तहत उन्होनें भारत में सत्ता का संचालन किया तथा भारतीय स्वतन्त्रतता आन्दोलन को कमजोर किया। इन दोनों के अतिरिक्त भारत में जन सामान्य की रूचि भी इस केस से जुड़ी थी तथा तत्कालीन समाचार पत्रों में यह केस प्रायः चर्चा में रहा करता था। यही कारण है कि अंग्रेज सरकार ने जन सामान्य की प्रतिक्रिया को देखते हुए इसमें शामिल अभियुक्तों को निर्धारित समय से एक दिन पहले फांसी की सजा दी। लाहौर षड़यन्त्र केस में कुल 24 अभियुक्त शामिल थे। जो कई मुकदमों में शामिल थे बाद में एक मुकदमें में शामिल कर लिया गया। जिसे लाहौर षड़यन्त्र केस का नाम दिया गया। भगत सिंह के सन्दर्भ में यह केस जब जुड़ा जब उनका केन्द्रिय एसैम्बली बम केस का फैंसला 12 जून 1929 को हो गया तथा उन्हें काले पानी की सजा दी गई।1 तत्पश्चात उनके मुकदमें की अपील लाहौर हाईकोर्ट में की गई तथा सरकार ने उनका नाम भी लाहौर षड़यन्त्र केस से जोड़ दिया।2

लाहौर षडयन्त्र केस की शुरूआत 10 जुलाई 1929 को हुई थी3 और यह 07 अक्तूबर 1930 को समाप्त हुआ था।4 यह मुकदमा लाहौर सेन्ट्रल जेल में स्पेशल मजिस्ट्रेट रायसाहब पण्डित श्री कृष्ण की कोर्ट में शुरू हुआ था और स्पेशल ट्रिब्यूनल के फैंसले के साथ समाप्त हुआ। इस स्पेशल ट्रिब्यूनल में हाईकोर्ट के तीन जज जे. कोल्डस्ट्रीम, सैयद आगा हैदर और जी. सी. मिल्टन शामिल थे। बाद में जस्टिस आगा हैदर को हटाकर जस्टिस अब्दुल कादिर को और जस्टिस कोल्डस्ट्रीम को हटाकर जस्टिस जे.के. टैप को नियुक्त किया गया था।5

लाहौर षडयन्त्र केस एक ऐतिहासिक मुकद्मा था क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण बडे मामलों को शामिल किया गया था जिसमें असैम्बली में बम फैंकना, लाहौर, सहारनपुर, कलकता और आगरा में बम बनाना, बिहार और उड़ीसा में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए डकैती डालना, लाहौर का बैंक डकैती कार्यक्रम तथा असिस्टेंट सुपरन्टिन्डेट ऑफ पुलिस जे.पी. साण्डर्स और हेड कॉन्सटेबल सरदार चनन सिंह की 17 दिसम्बर 1928 में लाहौर में हत्या आदि मुख्य रूप से शामिल थे।6

लाहौर षड़यन्त्र केस में कुल 607 गवाह शामिल किए जिनमें से पहले केवल 203 गवाहों की गवाही ही हो पाई थी क्योंकि लाहौर षडयन्त्र केस में विचाराधीन कैदियों ने मुकदमें के दौरान कार्यवाही में बाधा डालने, अपनी विचार धारा का प्रचार करने और फैंसले में देरी करवाने के लिए कुछ कदम उठाये थे। जिसके कारण मुकदमें के दौरान सभी गवाहों की गवाही नहीं हो सकी थी क्योंकि अधिकारियों को भय होने लगा था कि इस प्रकार से निश्चित समय में फैंसला

Corresponding Author:
डॉ. जोगिन्द्र सिंह
इतिहास विभाग, दयानन्द कॉलेज
हिसार, हरियाणा

Principal
Dayanand College
HISAR

सुनाना असंभव है।7 बाद में केस में 26 अगस्त 1930 तक कुछ और गवाह शामिल किए गए, इस तरह अंत तक कुल 457 गवाह पेश हुए। इसके बाद जजो ने अपने तौर पर तथ्यों का अध्ययन कर फैंसला दिया।

8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के पश्चात लाहौर केस के अधिकतर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। भगत सिंह और अन्य क्रान्तिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के न्याय के विरूद्ध योजनाएं बनानी शुरू कर दी।8 इन लोगों ने जेल और कोर्ट में अपना संघर्ष जारी रखने के लिए कई योजनाएं बनाई जिसमें भगत सिंह, बी.के. दत्त, जतिनदास और अन्य अभियुक्तों ने जेल में भूख हड़ताल इत्यादि की, सरकार पर दबाव बनाने के लिए कोर्ट की कार्यवाही में रूकावट डालना, ऊँची आवाज में नारे लगाना, देशभक्ति गीत गाना, पुलिस के साथ हाथापाई करना, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना, चिट्ठियां लिखना और मुखबिरों को जलील करना आदि शामिल थे।9 12 जून 1929 को भगत सिंह को दिल्ली सेशन कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए भगत सिंह को मियांवाली डिस्ट्रिक्ट जेल और बी.के. दत्त को लाहौर सेन्ट्रल जेल भेजा गया। इन जेलों में भारतीय कैदियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। इसलिए भगत सिंह और बी.के. दत्त ने अपनी–अपनी जेलों में भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसी बीच 25 जून 1929 को भगत सिह को भी लाहौर सेन्ट्रल जेल में भेज दिया गया10 तथा साथ ही लाहौर षडयन्त्र केस के दूसरे विचारधीन कैदियों को भी लाहौर बोस्टल जेल में लाया गया। इन कैदियों ने भगत सिंह और बी. के. दत्त से 10 जुलाई 1929 को मुलाकात की और भूख हड़ताल में शामिल होने का अनुरोध किया, इस तरह 13 जुलाई 1929 तक लगभग सभी विचाराधीन कैदी भूख हड़ताल में शामिल हो गए। इसी बीच भूख हड़ताल लगातार चली और 13 सितम्बर 1929 को जतिनदास की 63 दिन की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई।11 इस भूख हड़ताल का मार्मिक वर्णन अजय घोष द्वारा किया गया है12 जो स्वयं इसी जेल में विचाराधीन कैदी थे :–

"इस बीच में जहाँ–जहाँ भी राजनैतिक बन्दी थे, वे भी हमारी सहानुभूति में भूख हड़ताल कर रहे थे। हमारी माँगों को लेकर एक सशक्त जन आन्दोलन खड़ा हो गया था। देश के हर भाग में जन सभायें और प्रदर्शन हो रहे थे। यह समाचार सात समुन्द्र पार भी पहुँच गया। इससे इंग्लैंड में हलचल मच गई। अब पूरे विश्व का ध्यान भारतीय जेलों की स्थिति पर था। भूख हड़ताल के दिनों की एक घटना ने हम सबको बहुत प्रभावित किया। गदर पार्टी के संस्थापक और प्रथम लाहौर षड़यन्त्र केस (1915–16) के नायक बाबा सोहनसिंह भकना, जो उन दिनों लाहौर सेन्ट्रल जेल में थे, भी हमारे साथ भूख हड़ताल में शामिल हो गये। वह अंडमान और दूसरी जेलों में 14 वर्ष काट चुके थे और अब रिहा होने वाले थे। जेल सुपरिन्टेन्डेंट ने हमें बताया कि यदि वह भूख हड़ताल नहीं तोडेंगे तो उन्हें सजा में छूट नहीं मिलेगी और उन्हें अधिक समय के लिए जेल में रहना पड़ेगा। बाबाजी इस समय वृद्ध थे और अस्वस्थ भी। 14 वर्ष के जेल के नरकीय जीवन ने उनके शरीर को जर्जर कर दिया था। अतः भूख हड़ताल उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। भगतसिंह ने भी बाबाजी को मनाने का भरसक प्रयास किया, पर असफल रहे। जब भगतसिंह ने हमें बाबाजी से हुई अपनी मुलाकात के बारे में बताया, तो उनकी आँखों में आँसू थे। बाबाजी ने इस स्थिति में भी हमारे साथ अपनी हड़ताल जारी रखी। इस कारण उन्हें अपनी सजा में छूट नहीं मिली और उन्हें एक अतिरिक्त वर्ष और जेल में रहना पड़ा। जब 13 सितम्बर 1929 को जतिन दास का देहावसान हुआ, मैनें कठोर जेल अधिकारियों की आँखों में भी आँसू देखे। उनका शव बाहर प्रतीक्षा कर रही भारी भीड़ को सौंपने के लिए, जेल के फाटक से बाहर ले जाया गया। लाहौर के सुपरिन्टेन्डेंट ऑफ पुलिस हैमिल्टन हार्डिंग ने अपना हैट उतारा और झुककर उस व्यक्ति का अभिवादन किया जिसके संकल्प को झुकाने में ब्रिटिश साम्राज्य असफल रहा था।"

जतिनदास की यह शहादत भारत में नवयुवकों के लिए प्रेरणास्त्रोत बनी और बड़ी संख्या में देश में विद्यार्थी संगठन बने। भगत सिंह ने अपने कारावास के दौरान कुल 126 दिन तक भुख हड़ताल की थी और वे 'भूख हड़ताल' को एक हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे थे।

इस भूख हड़ताल के परिणामस्वरूप 26 जुलाई से 24 सितम्बर 1929 तक इस मुकदमें को स्थगित करना पड़ा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 26 जुलाई 1929 को मीटिंग कर भूख हड़ताल को उचित ठहराया। इसके अतिरिक्त लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्त अपने प्रदर्शन के नये–नये तरीके निकालते थे13 जैसे 19 दिसम्बर 1929 को काकोरी के शहीदों की याद में गीत गाना, 24 जनवरी 1930 को 'लेनिन दिवस' मनाने हेतू अभियुक्त कोर्ट में लाल स्कार्फ पहनकर आना, 01 मई 1930 को मई दिवस के रूप में मनाना आदि मुख्य थे। इसके साथ–साथ भगत सिंह और उसके साथी कोर्ट में जाते समय 'इन्कलाब जिन्दाबाद' और 'साम्राज्यवाद मुर्दाबाद' के नारे लगाते थे14 एवं 'वन्दे मातरम्' गीत गाते थे। इन नारों और राष्ट्रगान का दर्शकों पर इतना प्रभाव होता था कि दर्शकों के साथ–साथ जज भी प्रभावित हो जाते थे।15 19 अक्तूबर, 1929 का दिन लाहौर षड्यन्त्र केस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि इस दिन नेताजी सुभाषचन्द्र बोस कोर्ट में आए थे और उन्होनें एक घंटे तक कोर्ट में कार्यवाही देखी थी।16 इस बारे में द ट्रिब्यून लिखता है।

"जैसे ही नेताजी ने कोर्ट में प्रवेश किया, अभियुक्त कटघरे में खड़े हो गये और उन्होनें इन्कलाब जिन्दाबाद, सर्वहारा, जिन्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाकर उनका अभिवादन किया। नेताजी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। नेताजी को बैठने के लिए प्रेस दीर्घा में आसन दिया गया। अभियुक्तों ने कोर्ट से प्रार्थना की कि उन्हें नेताजी से मिलने दिया जाये, किन्तु इसे अस्वीकार कर दिया गया। नेताजी एवं उनके साथ आए कामागाटा मारू कांड के नायक बाबा गुरदित्त सिंह ने तीन घंटे तक कोर्ट में कार्यवाही देखी। जब वह दोपहर के 2:00 बजे के करीब उठकर कोर्ट से बाहर जाने लगे, तो अभियुक्तों ने एक बार फिर नारे लगाये।"17

लाहौर षड़यन्त्र केस के विचाराधीन कैदी कोर्ट की कार्यवाही में बाधा डाल कर इसके फैंसले में देरी के लिए निरन्तर प्रयत्न करते थे। ब्रिटिश इंडिया के गर्वनर जनरल लार्ड इरविन ने 01 मई 1930 को एक अध्यादेश जारी करके इस केस को एक विशेष ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया जिसमें हाई कोर्ट के तीन जज शामिल थे और इस ट्रिब्यूनल को विशेषधिकार प्रदान कर दिये गए। 05 मई 1930 को लाहौर षड्यंत्र केस को स्पेशल जज रायसाहब पंण्डित श्रीकृष्ण की

Principal
Dayanand College
HISAR

अदालत से लेकर यह केस नवगठित ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया। 18 इस ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट के जज जस्टिस जे. कोल्डस्ट्रीम, सैयद आगा हैदर और जी.सी. हिल्टन थे। अभी ट्रिब्यूनल में मुकदमा चले हुए एक पखवाडा ही हुआ था कि अभियुक्तों और अधिकारियों के बीच टकराव शुरू हो गया क्योंकि ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस कोल्डस्ट्रीम ने अभियुक्तों को कोर्ट में प्रवेश करते समय नारे लगाने के लिए हथकडियाँ लगाने का आदेश दे दिया। 19 जिसका अभियुक्तों ने विरोध किया जिसके कारण कोर्ट में ही पुलिस ने अभियुक्तों की निर्मम पिटाई की। जिसके विरोधस्वरूप भगत सिंह ने ट्रिब्यूनल को संबोधित करते हुए भारतीय जज से त्यागपत्र की मांग की जस्टिस आगा हैदर ने जस्टिस कोल्डस्ट्रीम द्वारा दिये गये आदेशों पर पुलिस की ज्यादतियों का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। 20 जिसके कारण उनको ट्रिब्यूनल से हटाकर जस्टिस अब्दुल कादिर को लगाया गया और कोल्डस्ट्रिम को हटाकर उनके स्थान जस्टिस जे. के. टैप को नियुक्त किया गया। भगत सिंह के नेतृत्व में अभियुक्तों ने इसका विरोध किया और कोर्ट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। 21

सरकारी पक्ष द्वारा मुकदमें में कुल 457 गवाह पेश किए गए और 26 अगस्त 1930 को लाहौर षड्यन्त्र केस की गवाहियां समाप्त कर दी क्योंकि अध्यादेश के अनुसार 31 अक्तूबर 1930 को ट्रिब्यूनल की अवधि समाप्त हो रही थी। इसलिए 07 अक्तूबर 1930 को ट्रिब्यूनल (जस्टिस जे.सी. हिल्टन, जस्टिस अब्दूल कादिर और जस्टिस जे.के. टैप) ने अपना ऐतिहासिक फैंसला सुनाया।22 इस फैंसले के अनुसार भगत सिंह जे.पी. साण्डर्स की हत्या के लिए, शिवराम राजगुरू को साण्डर्स की हत्या में शामिल होने के लिए और सुखदेव को स्कॉट की हत्या करने की गुप्त योजना में शामिल होने, बम बनाने और नये सदस्य भरती करने का दोषी मानते हुए फाँसी की सजा दी तथा बाकी बचे तीन अभियुक्तों देशराज, अजय घोष और जितेन्द्र नाथ सान्याल को रिहा कर दिया गया। इसके अतिरिक्त सात अभियुक्तों, किशोरी लाल, महाबीर सिंह, बी.के. सिन्हा, शिववर्मा, गयाप्रसाद, जयदेव कपूर और कंवलनाथ तिवारी को आजीवन काले पानी की सजा दी गई। शेष चार अभियुक्तों, कुंदनलाल, प्रेमदत्त वर्मा, रामसरन दास और ब्रहमदत को कम अवधि के कारावास की सजा दी गई। इसके अतिरिक्त पांच मुखबिरों सरकारी ग्वाह बने जयगोपाल, फनीन्द्रनाथ घोष, मनमोहन बनर्जी, हंसराज वोहरा और ललित कुमार मुखर्जी को हिरासत से छोड़ दिया गया।

लाहौर षड़यत्र केस वास्तव में सरकार को नीति का उद्घोष था जिसमें मुकदमें के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी मनमानी की और अभियुक्तों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए। वहीं दूसरी तरफ मुकदमें के दौरान लाहौर सेन्ट्रल जेल एक तीर्थ स्थान बन गई थी जहां काफी संख्या में लोग भगत सिंह और उनके साथियों को सुनने और देखने के लिए आते थे। इसके कारण पूरे देश में भगत सिंह की लोकप्रियता फैल गई।

मुकदमें के दौरान की एक घटना को याद करते हुए, भगतसिंह की माँ श्रीमति विद्यावती कहती हैं "बापू जी (भगतसिंह के दादा), कुलबीर सिह और मैं, एक बार लाहौर जेल से (अपने गांव की ओर) सांझ के समय पैदल चल पड़े। अन्धेरा घिर आया था और हम झाड़–झंखाड़ भरे रास्ते में जा रहे थे। मैंने देखा, झाड़ियों के पीछे कुछ आदमी हैं और वे एक–दूसरे को कुछ इशारा कर रहे हैं। मैं समझ गई कि चोर हैं इसलिए जोर से बोली, "भगतसिंह का वकील तो कुछ बोलता नहीं, सरकारी वकील बहुत बोलता है, कुलबीर। हमें दूसरा कोई वकील करना चाहिए।" सुनते ही वे (चोर) पीछे उठ गये। 23

स्पेशल ट्रिब्यूनल को निणर्य को चुनौती देने के लिए 10 अक्टूबर 1930 में प्रीवि काउंसिल में दायर की गई। पिटीशन के फैसलें तक सजा के अमल को स्थगित रखा गया था, लेकिन ट्रिब्यूनल का फैसला आने के बाद भारत सरकार के सचिव गृह मंत्रालय, मि. एच. डब्लू इमर्सन ने एक अर्ध सरकारी पत्र नं डी. 7754/3, ता. 20–11–1930 पंजाब सरकार को लाहौर षड्यन्त्र मुकदमें पर सजायाफ्ता लोगों की फाँसी के अवसर पर लोगों द्वारा रैली निकालने पर रोक लगाने हेतु लिखा। 24 दूसरी और प्रीवि काउंसिल ने एक न्यायिक कमेटी बनाई जिसके द्वारा लाहौर के वकीलों द्वारा भेजे गए इस आवेदन पर विचार होना था कि ट्रिब्यूनल के फैसलें के खिलाफ फाइल पर विचार किया जाए या नहीं। इस न्यायिक कमेटी में 5 'लॉर्डस' थे। इस न्यायिक कमेटी ने इस अर्जी पर विचार किया और सुझाव दिया कि इसे खारिज कर दिया जाए।25 भारत के सेक्रेट्री ऑफ स्टेट लंदन ने टेलिग्राम 20 नं. 539 दिनांक 12 फरवरी, 1931 द्वारा भारत सरकार को सूचित किया कि "न्यायाधीशों ने हिज मेजेस्टी" को यह सुझाव देने का निर्णय लिया है कि इस आवेदन को खारिज किया जाए। इस तरह सरकार ने अन्तिम तौर पर लाहौर षड्यन्त्र केस से जुड़े क्रान्तिकारियों को सजा देने का निर्णय ले लिया।

लाहौर षड्यन्त्र केस में दी गई सजा पर भगत सिंह ने अपनी बात जिस तरह से स्पष्ट की उसको उनके साथी शिवराम वर्मा26 ने इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है :–

"निर्णय से भगत सिंह अपने रंग में आ चुके थे। वे बहुत धीमे स्वर में बोल रहे थे। यही उनका तरीका था। सुनने वालों को लगता था कि वे उन्हें फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। चिल्लाकर बोलना उनकी आदत नही थी। यह शायद उनकी शक्ति भी थी। वे अपने स्वाभाविक अन्दाज में बोलते रहें, देशभक्ति के लिए यह सर्वोच्च पुरस्कार है, और मुझे गर्व है कि मैं यह पुरस्कार पाने जा रहा हूँ। वे (अंग्रेज) सोचते हैं कि मेरे पार्थिव शरीर को नष्ट करके वे इस देश में सुरक्षित रह जायेंगे। यह उनकी भूल है। वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन मेरी भावनाओं को नहीं कुचल सकेंगे। ब्रिटिश हुकूमत के सर पर मेरे विचार उस समय तक एक अभिशाप की तरह मँडराते रहेंगे जब तक वे यहाँ से भागने के लिए मजबूर न हो जाएँ ब्रिटिश हुकूमत के लिए मरा हुआ भगत सिंह जीवित भगत सिंह से ज्यादा खतरनाक होगा। मुझे फांसी हो जाने के बाद मेरे क्रान्तिकारी विचारों की सुगन्ध हमारे इस मनोहर देश के वातावरण में व्याप्त हो जाएगी। यह नौजवानों को मदहोश करेगी और वे आजादी और क्रान्ति के लिए पागल हो उठेंगे। नौजवानों का यह 'पागलपन' ही ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को विनाश के कगार पर पहुँचा देगा। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं बेसब्री के साथ उस दिन का इन्तजार कर रहा हूँ जब मुझे देश के लिए मेरी सेवाओं और जनता के लिए मेरे प्रेम का सर्वोच्च पुरस्कार मिलेगा।"

Principal
Dayanand College
HISAR

लाहौर षडयन्त्र केस के विभिन्न पक्षों को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट है कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई की महत्वपूर्ण घटना है इस केस के माध्यम से अग्रेंज सरकार ने शाक्ति के बल पर भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने का प्रयास किया। मुकदमें की कार्यवाही एक दिखावा थी क्योंकि सरकार सजा का निर्णय पहले ही ले चुकी थी। इससे औपनिवेशिक कार्य प्रणाली व व्यवस्था का पता चलता है। दूसरी और यह केस क्रान्तिकारी इतिहास में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रान्तिकारियों द्वारा खुलकर व्यवस्था के ढ़ोंग को उजागर किया। मुकदमें में हर कदम पर बाधा डाली। सरकार की अमानवीय गतिविधियों को झेला तथा भूख हड़ताल इत्यादि द्वारा वैधानिक तरीकों से जेल की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। जिसमें वे आशिंक रूप से कामयाब भी रहे। अतः लाहौर षडयन्त्र केस ने भारतीय स्वंतत्रता संग्राम की गति को नई तीव्रता प्रदान की और देश को स्वतंत्र कराने में अहम रोल अदा किया तथा भगत सिंह व उसके सहयोगी युवा पीढ़ी के आदर्श बन गए।

सन्दर्भ

मन्मथ नाथ गुप्ता, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन रिवोल्युशनरी मुवमेन्ट, बम्बई, 1972,पृ. 119–20

राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, होम डिर्पाटमैन्ट (पालिटिकल) फाईल नं 16 / 27, 1931,पृ 9

राष्ट्रीय अभिलेखागार, लाहौर षडयन्त्र केस, होम पालिटिकल, अक्तूबर 7, 1930 पृ.–44

विरेन्द्र सिन्धु, युग दृष्टा भगत सिंह, वाराणसी, 1968, पृ. 232

ए.के. घोष, भगत सिंह एण्ड हिज कामरेड, बम्बई,1945 पृ. 20

राष्ट्रीय अभिलेखागार, होम (पालिटिकल) डिर्पाटमैन्ट, फाईल नं. 172, 1930,पृ. 44

राष्ट्रीय अभिलेखागार, होम (पालिटिकल) डिर्पाटमैन्ट, फाईल नं. 13 / 11, 1931,पृ. 1–2

ए. के. घोष, भगत सिंह एण्ड हिज कामरेड, बम्बई,1945 पृ. 20

मन्मथ नाथ गुप्ता, भगत सिंह और उनका युग, दिल्ली, 1972,पृ. 193

राष्ट्रीय अभिलेखागार, होम (पालिटिकल) डिर्पाटमैन्ट, फाईल नं. 255, 1930, पृ. 50

राष्ट्रीय अभिलेखागार, होम (पालिटिकल) डिर्पाटमैन्ट, फाईल नं. 137, 1930, पृ. 1

चमन लाल, भगत सिंह के सन्दर्भ दस्तावेज़, दिल्ली, 2003, पृ. 214–15

राष्ट्रीय अभिलेखागार, होम (पालिटिकल) डिर्पाटमैन्ट, फाईल नं. 7 / 12, 1930, पृ. 23–24

रामानन्द चट्टोपाध्याय ध्याय (सम्पादक) मार्डन रिव्यू

विरेन्द्र सिन्धू, युग दृष्टा भगत सिंह, वाराणसी, 1968, पृ. 224

मन्मथ नाथ गुप्ता, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन रिवोल्युशनरी मुवमेन्ट, दिल्ली, 1972,पृ.163–64

द ट्रिब्यून, अक्तूबर 22, 1929

राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, होम डिर्पाटमैन्ट (पालिटिकल) फाईल नं 13 / 11, 1930, पृ. 2

द ट्रिब्यून, जून 21, 1930

मन्मथ नाथ गुप्ता, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन रिवोल्युशनरी मुवमेन्ट, दिल्ली, 1972,पृ.132–33

राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, होम डिर्पाटमैन्ट (पालिटिकल) फाईल नं 13 / 11, 1930, पृ. 25–26

एम.जे.एस. वडैच एण्ड गुरूदेव सिंह सिधू, द हैगिंग ऑफ भगत सिंह, चण्डीगढ 2005, पृ. 183–85

एम.एम. जुनेजा, भगत सिंह के प्रति राष्ट्र नतमस्तक क्यों, हिसार, 2010, पृ. 127

एम. जे. एस. वडैच, द हैगिंग ऑफ भगत सिंह, चण्डीगढ 2005, पृ. 224

एम. जे. एस. वडैच, द हैगिंग ऑफ भगत सिंह, चण्डीगढ 2005, पृ. 224

शिव शर्मा, भगत सिंह और उसके साथियों के दस्तावेज, दिल्ली 2003,पृ. 215

Principal
Dayanand College
HISAR